...2/96/आ...
...ही दिया जाना...
...राया जावेगा।
...दि मे भाग लेने...

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति भोपाल

Phone: 0755-2540590, 0755-4050000Fax: 0755-2541376 Email:deangmc_bpl@yahoo.co.in www.gmcbhopal.net

क्रमांक......................../एम.सी./अराज/5/2026 भोपाल, दिनांक ..../02/2026

//आदेश//

कार्यालयीन पत्र कमांक 41441–48/एम.सी./अराज–5/2024 भोपाल, दिनांक 27.11.2024 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा उपरांत जारी मेरिट अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर कार्यालयीन पत्र कमांक/02–79/2025/08/प–2/3197/2025, भोपाल, दिनांक 05.05.2025 के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन सूचना क. 1596–600/एम.सी./अराज–5/2026 भोपाल, दिनांक 12.01.2026 एवं कार्यालयीन आदेश कमांक 1903–12/एम.सी./अराज–5/2026 भोपाल, दिनांक 13.01.2026 के द्वारा स्कूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन समिति गठित कर दिनांक 21.01.2026 को मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षारत सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सातवें वेतनमान का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगी एवं समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्तों पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परीवीक्षा पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है।

नियुक्ति की सेवा शर्तो का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पदनाम	संवर्ग	वेतनमान
1	टीशा मेहरा पुत्री श्री इमरतलाल मेहरा	लैब अटेन्डेन्ट	अनारक्षित	15500–49000 (मेट्रिक्स लेवल–1 इण्डेक्स–1)

–नियुक्ति की शर्ते–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (सह चिकित्सकीय संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. चयनित प्रत्याशी को 200/– रूपये के ई–स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि कोई त्रुटि/कमी /गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी एवं यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
4. चयनित प्रत्याशी पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (C) के अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
5. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण के साथ 500/– रूपयें के ई–स्टाम्प पर बॉण्ड/सेवा अनुबंध प्रस्तुत करना होगा, कि मैं शासन नियमों के तहत तीन वर्षीय सेवा पूर्ण होने का बॉण्ड कर रहा/रही हूँ। तीन वर्ष से पूर्व त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर 01 वर्ष के वेतन/मानदेय की राशि स्वशासी संस्था को चुकानी होगी।
6. चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीवीक्षा अवधि में त्यागपत्र दिया जाता है तो नियुक्ति शर्त अनुसार बॉण्ड की राशि अर्थात 01 वर्ष के वेतन/मानदेय/स्टायपेण्ड की राशि संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित उम्मीदवार त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो उसको एक माह पूर्व नोटिस देना होगा। यदि एक माह पूर्व नोटिस नहीं देता है तो एक माह का वेतन संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित प्रत्याशी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद भोपाल/फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा करायी जावेंगी।(यदि लागू हो तो)
8. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
9. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण को मान्य किया जावेगा। यदि चिकित्सकीय आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रतियां(स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ–7–2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.1996 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी।
13. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
16. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
17. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
18. चयनित उम्मीदवार को एक वर्ष के अंदर कम्प्यूटर में Window Basic एवं Microsoft Office का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता दर्शानी होगी।
19. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
20. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
21. चयनित प्रत्याशी इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते है।
22. सेवाकाल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगें।
23. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनांक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होगें।
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा। इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

पृ. कमांक 6439-47/एम.सी./अराज/5/2026 भोपाल, दिनांक 13/02/2026

प्रतिलिपि–

1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
5. अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जावे।
6. प्रभारी अधिकारी स्वशासी/गोपनीय शाखा/न्यायालयीन शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
7. संबंधित कर्मचारी, **नामः**– टीशा मेहरा **पदनामः**– लैब अटेन्डेन्ट **पताः**– कलेक्टर कार्यालय के सामने, गौरव मेरिज गार्डन के पास, सांची रोड रायसेन, जिला रायसेन मध्यप्रदेश पिनकोड– 464551 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

12/02/26

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner